

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 1

दिनांक :- 21/1/21

॥ कार्यालय आदेश ॥

माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2021 में अग्रलिखित राजकीय अवकाशों के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/ अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
01.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9352942018	03.01.2021
02.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9828146819	09.01.2021
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9828146819	10.01.2021
04.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9587477872	17.01.2021
05.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	7568595111	23.01.2021
06.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	7568595111	24.01.2021
07.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9079174048	26.01.2021
08.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	7023067595	31.01.2021
09.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9694444444	07.02.2021
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	8290111145	13.02.2021
11.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	8290111145	14.02.2021
12.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	7568595111	21.02.2021
13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9587477872	27.02.2021
14.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9587477872	28.02.2021
15.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9352942018	07.03.2021
16.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9079174048	11.03.2021
17.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9828146819	13.03.2021
18.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9828146819	14.03.2021
19.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9694444444	21.03.2021
20.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9460287600	27.03.2021
21.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9460287600	28.03.2021
22.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	7023067595	29.03.2021

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त ड्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है, तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही संबंधित अधिकारी के ड्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

कमांक :- 2

दिनांक :- 21/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट.टोंक/देवली/टोड़ारायसिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक